न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/457

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद

---अपीलान्ट

बनाम

गंगाधर आत्मज मन्ना लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी नये खसरा नम्बर 343 की 0.93 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद की पुराने खसरा नम्बर 315 की 08 बीघा 16 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 343 की 0.93 हैक्टर के स्थान पर पुराने रकबा के अनुसार 1.41 हैक्अर दर्ज कर उसका वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 के द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील हेतु स्वीकृति प्राप्त करने में समय लग गया इसलिए उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व साक्ष्य के अपीलान्ट को सुने बिना ही रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 36/1, 343, 438/1, 440/1 कुल 04 किता की 6.45 हैक्टर आराजी स्थित है जो सेटलमेंट के मुकाबले सही है अर्थात् अपीलान्ट का जितना रकबा सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था उतना ही रकबा रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज किया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा सम्पूर्ण रकबे प्रकट किये बिना ही केवल मात्र आराजी खसरा नम्बर 393 के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा सम्पूर्ण रकबे के तथ्य को छुपाकर वाद डिक्री करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के कब्जे व खातेदारी वाले आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.31 हैक्टर का सेटलमेंट से पूर्व भी इतना ही रकबा था जिसमें सेटलमेंट के बाद द्वारा कोई रकबा बढाया या घटाया नहीं गया है मिलान क्षेत्रफल व अन्य रिकॉर्ड से भी आराजी खसरा नम्बर 346 से कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता है किन्तु फिर भी आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.41 हैक्टर में से 0.31 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त फरमराया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी साबित है कि वादी रेस्पोडेन्ट का रकबा कम हुआ है । आराजी खसरा नम्बर 343 रकबा 0.93 हैक्टर के स्थान पर 1.24 हैक्टर रकबा निकलता है जिस पर वादी रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है । वादी के आराजी खसरा नम्बर 343 व खसरा नम्बर 346 पास–पास स्थित हैं जिसमें कि यह रकबा दौराने बन्दोबस्त अधिक दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट ने अपना वाद साबित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट एवं पैमाईश रिपार्ट को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 बहाल रखा जावे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी साबित है कि वादी रेस्पोडेन्ट का रकबा कम हुआ है । आराजी खसरा नम्बर 343 रकबा 0.93 हैक्टर के स्थान पर 1.24 हैक्टर रकबा निकलता है जिस पर वादी रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है । वादी के आराजी खसरा नम्बर 343 व खसरा नम्बर 346 पास–पास स्थित हैं जिसमें कि यह रकबा दौराने बन्दोबस्त अधिक दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट ने अपना वाद साबित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट एवं पैमाईश रिपार्ट को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 17.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/457

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

——अपीलार्थी

बनाम

गंगाधर आत्मज मन्ना लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 105/दावा/2016

गंगाधर आत्मज मन्ना लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.04.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 17.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 10.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा